विविध बैंक प्रकरण सं. 08/2019 (RCMS 2019/00017) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रेल्वे स्टेशन रोड़, अनूपगढ बनाम 1. कश्मीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नं. 12, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर 2. श्री आत्मा सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी वार्ड नं. 12, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर

01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 04.01.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण कश्मीर सिंह एवं आत्मा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 2.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख मात्र) का ऋण दिनांक 27.02.2004 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कश्मीर सिंह द्वारा अपनी **रिहायशी सम्पति वार्ड नं. 12(1391.50 वर्गफुट) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.01.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.05.2018 को 2,46,787/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 07.05.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण पर व्यक्तिशः तामील करवाई है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋणी **कश्मीर सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी सम्पति वार्ड नं. 12(1391.50 वर्गफुट) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण कश्मीर सिंह एवं आत्मा सिंह** को 2.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.02.2004 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **कश्मीर सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी सम्पति वार्ड नं. 12(1391.50 वर्गफुट) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.01.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 07.05.2018 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नोटिस प्राप्ति का पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु आत्मासिंह को नोटिस प्राप्ति की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा धारा 13(2) के नोटिस पर एक हस्ताक्षर अंकित है, जिसका मिलान ऋण प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात पर किये गये हस्ताक्षर से भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि गारंटर आत्मा सिंह पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है, जो होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी **कश्मीर सिंह की रिहायशी सम्पति वार्ड नं. 12(1391.50 वर्गफुट) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.05.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.05.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण **कश्मीर सिंह और आत्मा सिंह** को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं केवल अप्रार्थी कश्मीर सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु अप्रार्थी आत्मा सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद या पोस्ट [illegible] की ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और गारंटर आत्मा सिंह [illegible] नोटिस पर जो हस्ताक्षर बताये गये है वे हस्ताक्षर ऋण प्रार्थना पत्र एवं [illegible] में उपलब्ध अन्य दस्तावेज पर किये गये आत्मा सिंह के हस्ताक्षर से भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि गारंटर आत्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुसार धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थी ऋणी और गारंटर दोनों पर होनी आवश्यक है। ऐसी दशा में प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का **खारिज किया जाता है**। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested